मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 144/2024

लवदीप सिंह पुत्र कर्मजीत सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— वादी

–:: बनाम ::–

1. कर्मजीत सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. काका सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सुखविन्द्र कौर पुत्री टहल सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. समनदीप कौर पुत्री कर्मजीत सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सुखदीप सिंह पुत्र काका सिंह नाबालिग जरिये कुदरतीबली माता सुखविन्द्र कौर पत्नी काका सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. अमनदीप कौर पुत्री काका सिंह जाति तरखान साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.बाबत घोषणा, खाता विभाजन

–:निर्णय:–

दिनांक :– 21/10/2024

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:–

क. वादी लवदीप सिंह :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
6 एसजीआर	7/320	5/1/.214, 5/2/.025, 6/.239, 7 ता 10, 11/.091	1.581 हैक.

ख. प्रतिवादी सं. 5 सुखदीप सिंह :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
6 एसजीआर	7/320	5/1/[illegible], 6/[illegible], 11/.162, 12 ता 16, 17/[illegible]	1.582 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित [illegible], वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/24...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:31 IST
Reason: SelfAttested